प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद भारती,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0 डेस्को,
गोमती नगर, लखनऊ।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 31 जुलाई, 2015

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय हेतु 'मेगा कॉल सेन्टर' की स्थापना एवं संचालन हेतु प्रकाशित किये गये आरएफपी के क्लाज़-3.8-सब-कान्ट्रेक्ट को पूर्ववत हाई पॉवर कमेटी के अनुमोदनानुसार रखने तथा न्याय विभाग द्वारा क्लाज़-3.1-डैफिनेशन्स के विलोपित सब क्लाज़-XIX को यथावत सब क्लाज़-XVIII के रूप में सम्मिलित करने हेतु शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रदान कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-904/124/1939, दिनांक 23.07.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में न्याय विभाग द्वारा दिया गया अभिमत निम्नवत् है:-

"पृष्ठ 23 से 24 के प्रस्तर-3 के अनुसार आर.एफ.पी. के आलेख्य (प/क) में संशोधन करने का अनुरोध किया है उक्त आर.एफ.पी. के आलेख्य (प/क) पर न्याय विभाग द्वारा पृष्ठ-18 पर विधिक अनापत्ति व्यक्त की गई थी। प्र0वि0 की टिप्पणी के अनुसार आलेख्य (प/क) की शर्त 3.8 के शब्द "delegate" को हटा दिया गया है। लेकिन Subcontractor को कार्य दिया जाना उचित नहीं है। अत: प्रस्तर-3.8 का शेष प्राविधान अक्षूण्य रखा गया है प्र0वि0 द्वारा क्लाज़-3.1 के विलोपित सब क्लाज़-XIX को यथावत रखना चाहते है। उक्त सब क्लाज़ द्वारा "Subcontractor" को परिभाषित किया गया है। सब क्लाज़-3.8 में Subcontractor न रखने की व्यवस्था की गई है अत: 3.1 में विलोपित क्लाज़-XIX को रखे जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" सम्बन्धित पत्रावली की टीप पृष्ठ सं. 22 से 24 की छायाप्रति संलग्न है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर न्याय विभाग के उपरोक्त अभिमत के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा बिड जमा कराने की निर्धारित की गई अन्तिम तिथि को प्रि-बिड क्वैरीज़ के रैस्पान्सेज़/कोरिजेण्डम को ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि से 21 दिन का समय देते हुये बढ़ाये जाने के लिये एतदद्वारा शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(महेन्द प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in